मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(सी–2, साउथ सिविल लाईन्स)

जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) राजपत्रित के पद हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन क्रमांक–37 / जि.वि.स.अ. / परीक्षा / 2021 जबलपुर, दिनांक–08 / 06 / 2021

आवेदन करने की प्रारंभ तिथि	:–	**25 जून, 2021 दोपहर 12:00 बजे से**
आवेदन करने की अंतिम तिथि	:–	**24 जुलाई, 2021 रात्रि 11:55 बजे तक**
ऑनलाइन परीक्षा की तिथि	:–	**बाद में अधिसूचित की जावेगी।**

मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती नियम, 2007) के अंतर्गत **जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) द्वितीय श्रेणी राजपत्रित** के निम्न रिक्त पदो के लिये, **वेतनमान 56100–177500** (सातवे वेतनमान के अनुसार) निर्धारित प्रपत्र में योग्य व पात्र भारतीय नागरिक उम्मीदवारों से केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	श्रेणी	(अ) कुल रिक्त पदों की संख्या	(ब) कॉलम (अ) में कुल रिक्त पदों में से **महिलाओं** के लिए आरक्षित पदों की संख्या	(स) कॉलम (अ) में कुल रिक्त पदों में से **दिव्यांगजनों** के लिए आरक्षित पदों की संख्या
अ	अनारक्षित पदों की संख्या	07	02	00
ब	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या	02	00	00
स	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या	02	00	00
द	अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या	03	01	00
	योग :–	14	03	00

* पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकेगी ।

नोट :–(1) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, वे अनारक्षित श्रेणी के ही माने जावेंगे और वे तद्नुसार अनारक्षित श्रेणी के रूप में ही आवेदन करें ।

(2) अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनाँक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जायेगा।

खण्ड "अ"

आवेदन–शुल्क :–

श्रेणी	परीक्षा शुल्क (अ)	सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क (ब)	योग (अ)+(ब)
अनारक्षित एवं / अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु	रू. 200 / –	रू. 722.16 / –	रू. 922.16 / – (नौ सौ बाइस रूपये सोलह पैसे)
आरक्षित वर्ग (केवल म.प्र. के मूल निवासी) एवं / अथवा **दिव्यांग (विकलांग)** आवेदकों हेतु	रू. 0 / –	रू. 722.16 / –	रू. 722.16 / – (सात सौ बाइस रूपये सोलह पैसे)

नोट :– (1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

(2) अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्सन नियत समय की भीतर सेवा प्रदाता के पक्ष पर सफलतापूर्वक हो चुका हो ।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है । बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि :–

1– कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश / विज्ञापन म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

2– **आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कोई प्रावधान नहीं है, अतः आवेदन पत्र सावाधानीपूर्वक भरें, समस्त विवरण सही व सटीक भरें । अपूर्ण गलत या त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त माना जायेगा ।**

3– आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरा जायेगा, ऑफलाइन आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं होंगे ।

आवेदन पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाईट में जाकर "Recruitment/Result" की बटन में क्लिक करना होगा, जहाँ दर्शित टैब "Click Here - Online Application

Forms/ Admit Cards" पर क्लिक करने पर टेबिल दर्शित होगी । इस टेबिल में District Legal Aid Officer Exam-2021 के सामने 03 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार है :–

1. Advertisement
2. Registrartion
3. Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को पढ़ा जा सकता है, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को सही व पूर्ण दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर (आवेदन पत्र में वांछित साइज में) अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट :– कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (022–61306271) पर तत्काल सम्पर्क करें।

4– जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। त्रुटिपूर्ण, असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

5– परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को दिनांक 24 जुलाई 2021 को रात्रि 11:55 (pm) बजे तक करना अनिवार्य है। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

खण्ड–"ब"

(I) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवर्ग के पदों हेतु अर्हतायें/पात्रता :–

कोई भी व्यक्ति उक्त पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा, यदि–

(1) वह भारत का नागरिक हो,

(2) उसने उस वर्ष को, जिसमें भर्ती के लिये आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये हैं, आगामी वर्ष की पहली जनवरी अर्थात् 01/01/2022 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो ।

परन्तु यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तब उच्च्तर आयु सीमा अधिकतम 3 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

परन्तु यह भी कि विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

परन्तु यह और भी कि ऐसे अभ्यर्थी को जो सरकारी सेवक हैं (चाहे स्थायी या अस्थायी हों) उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय, होगी।

(3) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि धारित करता हो ।

(4) वह अच्छे चरित्र और अच्छे स्वास्थ्य का हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जो उसे ऐसे पद के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो ।

(II) **निरर्हतायें** :– कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–

1. यदि वह म.प्र. जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम, 2007 एवं म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, अथवा
2. किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों के समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिये उसकी निरर्हता माना जा सकेगा, अथवा
3. कोई अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, अथवा
4. कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित सन्तान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, अथवा

(III) <u>अर्हता के संबंध में विनिश्चय</u> :– परीक्षा में प्रवेश के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(IV) **परीक्षा की योजना** :– यह परीक्षा दो चरणों में होगी :–

(अ) ऑनलाइन परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रश्न)
(ब) साक्षात्कार

(अ) ऑनलाइन परीक्षा (200 अंक) :– ऑनलाइन परीक्षा, सेवा प्रदाता के माध्यम से निर्धारित तिथि व समय पर आवश्यकतानुसार **जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना व उज्जैन (एक या एक से अधिक अथवा सभी में) मुख्यालय** के विभिन्न केन्द्रों पर आवश्यकतानुंसार एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जावेगी जिसकी तारीख व समय बाद में अधिसूचित किये जायेंगे। सामान्य परिस्थितियों में यह प्रयास किया जायेगा कि

परीक्षा एक ही पाली में हो । अपरिहार्य दशा में, उक्त परीक्षा म.प्र. राज्य के बाहर स्थित केन्द्रों पर भी आयोजित की जा सकेगी, तब यह प्रयास किया जायेगा कि अभ्यर्थी को उसके मूलनिवास के आधार पर निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाये, इस संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा किया गया आवंटन अंतिम होगा और इस बावत् कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा ।

1. <u>प्रवेश पत्र</u> :— प्रवेश पत्र सेवा प्रदाता द्वारा उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन परीक्षा या साक्षात्कार, जैसी भी स्थिति हो, के लगभग 7 दिवस पूर्व जारी किये जायेंगे जिसका प्रिन्ट आउट अभ्यर्थी अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा । प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी ।

2. <u>ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम</u> :— निर्धारित पाठ्यक्रम अनुपातिक अंकों के साथ निम्नानुसार है :—

(A)	**Law - 140 Questions**	**Prescribed Marks : 140**
	***Comprising of* -**	***No. of Questions***
(1)	**Constitution of India** - Part-III : Fundamental Rights - Part-IV : Directive Principles of State Policy - Part-IVA : Fundamental Duties	10
(2)	<u>Civil Procedure Code-1908</u> - Section-89 : Settlement of Disputes Outsides the Court - Order X : Rule 1-A, Rule1-B & Rule 1-C - Order XXXIII : Suits By Indigent Persons - Order XLIV : Appeals By Indigent Persons	10
(3)	<u>Indian Penal Code, 1860</u> - Chapter-II : General Explanations - Chapter-III : Of Punishments : - Chapter-IV : General Exceptions : - Chapter-VIII : Of Offences Against The Public Tranquility - Chapter-XVI : Of Offences Affecting the Human Body - Chapter-XVII : Of Offences Against Property - Chapter-XX : Of Offences Relating to Marriage - Chapter-XXA : Of Cruelty By Husband or Relatives of Husband	10
(4)	<u>Criminal Procedure Code, 1973</u> - Chapter-IX, Sec.-125 : Order for Maintenance of Wives, Children and Parents - Chapter- XXIA, Sec.-265A to 265L:Plea Bargaining	15

- Chapter-XXIV, Sec.-303 : Right of Person Against Whom Proceedings are instituted to be Defended.
- Chapter-XXIV, Sec.-304 : Legal Aid to Accused at State Expense in Certain Cases.
- Chapter-XXIV, Sec.-320(1)(2) : Compounding of offences with M.P. State Amendments.
- Chapter-XXIV, Sec.-321 : Withdrawl from Prosecution
- Chapter-XXVII, Sec.-357 : Order to pay Compensation
- Chapter-XXVII, Sec.-357A, 357B & 357C : M.P. Victim Compensation Scheme-2015, Compensation to be in addition to fine under Sec. 326A or Sec. 376D of Indian Penal Code & Treatment of Victims.

(5)	Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015	5
(6)	Dowry Prohibition Act, 1961	5
(7)	Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 & Rules, 2006	5
(8)	Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994	5
(9)	Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012	5
(10)	Motor Vehicle Act, 1988 Section – 140, 163, 163A & 166	5
(11)	Family Courts Act, 1984	5
(12)	Hindu Law & Muslim Law	10
(13)	The Arbitration & Conciliation Act, 1996	5
(14)	Gram Nyayalayas Act, 2008	5
(15)	Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007	5
(16)	M.P. Crime Victim Compensation Scheme, 2015	5
(17)	The Legal Services Authority Act, 1987 and Related Rules & Regulations	30

- The Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 30 of 1987)
- M.P. Legal Services Authority Rules,1996
- M.P. Legal Services Authority Regulations, 1997

- Lok Adalat Scheme, 1997
- Instructions to Organise Permanent and Continuous Lok Adalat Under Lok Adalat Scheme, 1997
- Civil Procedure - Mediation Rules, 2006
- Legal Literacy Camp, Scheme 1999
- Paralegal Volunteers Scheme
- National Legal Services Authority (Legal Aid Clinic) Regulations, 2011
- Schemes of State Legal Services Authority
- Schemes of National Legal Services Authority
- National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010

(B) General Studies & Social Science –30 Questions. Prescribed marks: 30

(C) Computer & General English – 30 Questions. Prescribed Marks: 30

3. **ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया :–**

(1) ऑनलाइन परीक्षा हेतु 200 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प होंगे जिनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर सेव करना होगा। अभ्यर्थी/परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न करने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले पृष्ठ पर वापस जा सकेगा । ऑनलाइन परीक्षा के पूर्ण होने पर अभ्यर्थी द्वारा दिये गये प्रश्न पत्र के उत्तरों को सब्मिट (Submit) करना होगा। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन दिये उत्तर/विकल्प में नहीं किया जा सकेगा। इस परीक्षा हेतु **प्रश्न पत्र हल करने की समय–सीमा 180 मिनिट यानि 3 घंटे की होगी । इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग सिस्टम रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 0.25 अर्थात 1/4 अंक काटे जावेंगे।**

(2) आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर **Mock Test (मॉक टेस्ट) (परीक्षा अभ्यास)** की सुविधा उपलब्ध है।

(3) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन के पश्चात् ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। **फोटो कापी एवं डुप्लीकेट पहचान पत्र मान्य नहीं होंगे।**

(4) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक–एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को निर्धारित स्थान पर अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगा।

(5) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(6) आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि उसके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में उसके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होना

चाहिये। इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

4. **अनुचित साधन :–**

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अन्तर्गत माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया जायेगा।

(1) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।

(2) अभ्यथी/आवेदक द्वारा या उसके लिए प्रतिरूपण।

(3) अपनी अभ्यर्थिता के समर्थन में कोई कूटरचित दस्तावेज बनाना या जमा करना।

(4) यदि वह चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के किसी भी चरण में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है या कोई गलत जानकारी प्रदान करता है।

(5) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधन।

(6) यदि वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है या परिसर के भीतर या ऑनलाइन परीक्षा या साक्षात्कार के परीक्षा कक्ष/हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है, या कंप्यूटर या किसी तार, उससे जुड़े परिधीय या किसी फर्नीचर को कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी परीक्षा केंद्र की इमारत या कोई अन्य चीज, या परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति से बात करना या कंप्यूटर स्क्रीन, टेबल या अन्य उम्मीदवारों की उत्तर–पुस्तिकाओं पर झाँकना इत्यादि ।

(7) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना। मोबाइल फोन, पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण/कैलकुलेटर प्रतिबंधित हैं और परिसर के मुख्य द्वार के अंदर अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर देगा और अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित करने की कार्रवाई करेगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध शामिल हो सकता है, अथवा

(8) परीक्षा से संबंधित किसी भी निर्देश की अवहेलना/अवज्ञा करना, जिसमें निरीक्षक या पर्यवेक्षक या परीक्षा के संचालन में लगे किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा मौखिक निर्देश शामिल हैं, अथवा

(9) परीक्षा या साक्षात्कार के दौरान, किसी अधिकारी या कर्मचारी या वहां ड्यूटी पर लगे किसी भी व्यक्ति को परेशान करना या धमकी देना या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना है या दुर्व्यवहार करना अथवा अन्य कोई भी ऐसा आचरण जो एक आदर्श परीक्षार्थी के के लिये वर्जित है।

5. **परीक्षा (ऑनलाइन) का मूल्यांकन एवं परिणाम :–**

(1) परीक्षा होने के उपरान्त प्रस्तावित उत्तर कुंजी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित उत्तर कुजी के संदर्भ में कोई आपत्ति करना चाहता है तो वह वेबसाइट पर प्रस्तावित उत्तर कुंजी के प्रकाशन के दिनांक से 05 दिवस के भीतर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) म.प्र.

उच्च न्यायालय, जबलपुर के नाम से सम्बन्धित स्रोत/दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ स्वहस्ताक्षरित अपनी आपत्ति डाक या ई–मेल (pregexamhcjbp@mp.gov.in) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है ।

ऐसी किसी आपत्ति के किये जाने पर जो कि बिना किसी दस्तावेजों/स्रोतों या सबूतों के हो या निर्धारित समयावधि के पश्चात् की गई हो, विचारणीय नहीं होगी तथा बिना कारण बताये ऐसी आपत्ति निरस्त मानी जायेगी । आनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो बिना कारण बताये निरस्त मानी जायेगी। यदि विहित समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्तावित उत्तर कुंजी को अंतिम मानकर परीक्षा परिणाम बनाया जायेगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी से लगभग एक पद के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जायेंगे ताकि सभी वर्गों को समान एवं समुचित अवसर प्राप्त हो। साक्षात्कार हेतु **सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक** तथा **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है**। ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित कर उनसे साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र मय दस्तावेज बुलाये जायेंगे।

(3) ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को तय समयसीमा के अंदर निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर उसके साथ अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र यथा– कक्षा 10वी, 12वी, स्नातक एवं विधि स्नातक की अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित दो–दो प्रतियां "**रजिस्ट्रार (परीक्षा), परीक्षा सेल प्रशासनिक भवन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.)**" को भेजना आवश्यक है। नियत समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं किया जायेगा और बिना कोई कारण लेख किये निरस्त माना जायेगा।

(4) तत्पश्चात् अभ्यर्थियों के आवेदन व दस्तावेजों की जांच (स्क्रूटनी) उपरांत साक्षात्कार हेतु पात्र व अपात्र अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी कर प्रकाशित की जावेगी तथा सूची में पात्र अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे।

(ब) साक्षात्कार (25 अंक)

(1) साक्षात्कार जबलपुर में आयोजित किया जायेगा ।

(2) साक्षात्कार के लिये 25 अंक निर्धारित हैं ।

(3) साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

(4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जावेगा।

(5) साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं स्वयं द्वारा सत्यापित पठनीय स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(V) **अंतिम परिणाम :–**

साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको के आधार पर अन्तिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची मैरिट अनुसार म. प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

मेरिट सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा अर्थात् अधिक उम्र वाले व्यक्ति को उच्च वरीयता दी जायेगी।

सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की आवश्यक समझी जाये, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(VI) **सूचना के अधिकार के तहत जानकारी :–**

अन्तिम चयन सूची प्रकाशित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक व उत्तर पुस्तिका संबंधी जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट से आवेदन क्रमांक व पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेगा। इसके बावजूद यदि अभ्यर्थी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करता है, तब विहित शुल्क अदा करने व नियमानुमत होने पर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने से 3 माह तक आवेदक अभ्यर्थी की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

(VII) **चयन एवं अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक जानकारी :–**

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जायेगा :–

(1) परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है ।

(2) चयन प्रकिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर/माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को है ।

(13) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्ते पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा ।

(14) आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें ।

(15) पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नही है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी ।

(16) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक की जानकारी अनिवार्यतः दें ।

(17) परिवीक्षा की अवधि मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम, 2007 के नियम 10 के अनुसार निर्धारित होगी ।

(18) प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व तक, जो भी पहले हो, तक ही मान्य होगी।

(VIII) यात्रा व्यय का भुगतान :–

जिला विधिक सहायता अधिकारी पद हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होगा क्योंकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया है।

(IX) शुद्धि पत्र :–

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत किसी भी समय यदि किसी भी स्पष्टीकरण, संशोधन आदि को उच्च न्यायालय की ओर से किए जाने की आवश्यकता होती है, तो यह मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर शुद्धि पत्र को जारी करके किया जा जायेगा, आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शुद्धि पत्र को सभी अभ्यर्थियों को पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जाएगा और इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी कि अभ्यर्थी को इस तरह के शुद्धि पत्र की कोई जानकारी नहीं थी।

(X) परीक्षा सामग्री का विनष्टीकरण :–

सामान्य दशा में, तत्प्रतिकूल आदेश/निर्देश के अभाव में, चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष परीक्षा सामग्री एक वर्ष उपरांत विनष्ट कर दी जायेगी।

(XI) कोविड–19 महामारी से संबंधित निर्देश :–

परीक्षा के विभिन्न चरणों यथा ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि के पूर्व अथवा परीक्षा के समय अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावशील सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा प्रवेश पत्र अथवा नोटिस के माध्यम परीक्षा सेल द्वारा कोविड–19 महामारी से संबंधित विशेष निर्देश जारी किये जा सकते हैं जिनका पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा सेल द्वारा निरस्त की जा सकेगी ।

(गिरिबाला सिंह)
सदस्य सचिव